A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
78/अपील/2018	30.07.2018	04.11.2019

सत्यनारायण पुत्र रामप्रसादी बाई पिता हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ब्रहमपुरी, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

–अपीलांट

– बनाम –

1. हरि कवंर पुत्री रामप्रसादी बाई पिता हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ब्रहमपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)
2. राममूर्ति पुत्री रामप्रसाद बाई पिता हनुमान प्रसाद पत्नी तुलसीराम जाति ब्राह्मण निवासी खांजना डूगर जिला सवाईमाधोपुर (राज.) मृतक जर्ये कायम मुकाम –

2/1 तुलसीराम आ. रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी खांजना डूंगरी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर (राज.)

3. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, करवर जिला बून्दी।
4. सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं. 3999 दिनांक 18.06.2018
ग्राम करवर तहसील नैनवां।

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री बृजमोहन गौत्तम, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्टस की ओर से – श्री कमलेश त्रिपाठी, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, करवर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3999 दिनांक 18.06.2018 ग्राम करवर तहसील नैनवां से अप्रसन्न होकर अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण रामकल्याण आ. श्रीलाल के फौत होने से

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

2A 6/2

सत्यनारायण पुत्र रामप्रसादी बाई, राममूर्ति बाई, हरी कवंर पुत्रियां रामप्रसादी बाई के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि जमाबन्दी सं. 776 की कृषि भूमि ख. सं. 1525 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम करवर तहसील नैनवां में स्थित कृषि भूमि के खातेदार कृषक अपीलान्ट के नाना रामकल्याण आ. गेन्दीलाल निवासी लाखेरी थे जिनके केवल मात्र एक पुत्री रामप्रसादी बाई थी एवं कोई भी सुलभी पुत्र नहीं होने के कारण रामकल्याण ने अपनी जिवितावस्था में ही अपनी सम्पूर्ण चल/अचल सम्पति के संबंध में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 14.06.1974 को अपीलान्ट सत्यनारायण के पक्ष में लिखवाकर दिनांक 14.06.1974 को उपपंजीयक, के. पाटन के यहां रजिस्टर्ड करवा दिया था जिसकी पुस्तक सं. 03 जिल्द 01 क्रम सं. 09 व पृष्ठ सं. 131—132 है। रामकल्याण की मृत्यु दिनांक 27.06.1983 को हो चुकी है। उक्त विवादित भूमि का रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामा. तस्दीक होना चाहिये था। इस संबंध में अपीलान्ट के पुत्र ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को भी पेश किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि का नामा. अकेले अपीलान्ट के नाम पर तस्दीक नहीं करके अपीलान्ट की बहनो के नाम भी तस्दीक कर दिया गया। अपीलाधीन नामा. वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित पारित किया गया है। उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पुत्र भूपेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं करके अपीलान्ट को बिना सुनवाई करते हुये अपीलाधीन नामा. पारित किया गया है को निरस्त कर अपील अपीलान्ट *स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि ख.नं. 1525 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा ग्राम* करवर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर केवल मात्र अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने की कृपा करे।

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान अपने जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि ख. नं. 1525 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम करवर अपीलान्ट के खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाधीन नामा. सं. 3999 दिनांक 18.06.2018 खातेदार रामकल्याण फौत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। रामकल्याण व उसकी बेवा व पुत्री रामप्रसादी बाई फौत होने से पुत्री रामप्रसादी बाई के पुत्र सत्यनारायण व पुत्रियां राममूर्ति बाई, हरि कवंर के

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

नाम तस्दीक किया गया है। मृतक रामकल्याण ने उसकी जीवित अवस्था में ही एंक रजिस्टर्ड वसीयत चल/अचल सम्पति बाबत् अपीलान्ट सत्यनारायण आ. हनुमान प्रसाद निवासी लाखेरी के नाम उपपंजीयक, के. पाटन के यहां करवा दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामा. पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है न ही वसीयत की जांच की गई है। रेस्पो. ने जवाब पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामा. सं. 3999 दिनांक 18.06.2018 ग्राम करवर तहसील नैनवां निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, नैनवां को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान की सुनवाई करते हुये तथा वसीयत की जांच करते हुये सम्पूर्ण रेकार्ड व साक्ष्य सबूत प्राप्त कर पुनः नियमानुसार नामा. पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)